(2019/01994)　मिस्ल एव-चाउड़ दि P.D

2021/346

FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

<u>अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाडा</u>

जयराम　　बनाम　　राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा　88 **RTA,136 LRA**　　　प्र. संख्या **PGKS 2021 / २३५१/ 2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री जयराम ने प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प तिलोली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी जयराम के गोदपुत्र होने से प्रार्थी के पिता के वास्तविक नाम मांगीलाल के बजाय गोद पिता बालूराम का नाम दर्ज किया जावें। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 00222 ग्राम करणगढ़ ,भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक RJ/20/ 158/ 399 628, आधार कार्ड संख्या 664320314476 आदि का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी जयराम के पिता का नाम बालू के रूप मे अंकित है। प्रार्थी जयराम ने दिनांक 07.01.2005 को पंजीबद्व किये गये गोदनामे की छाया प्रति भी संलग्न की है जिसके अनुसार जयराम पि.मांगीलाल भील को बालू के गोद जाने की पुष्टि करता है। हाल जमाबन्दी संवत 2068 -2071 ग्राम करणगढ़ की खाता संख्या 236 किता 7 रकबा 3.04 हैक्टर भूमि में जरिये नामान्तरण संख्या 703 दिनांक 05.07.2014 से गोदनामा से बालू के बजाय जयराम पि. मांगीलाल भील दर्ज रेकार्ड हुआ है। उक्त विवेचन के अनुसार ग्राम करणगढ की जमाबन्दी संवत 2068-2071 की खाता संख्या 236 किता 7 रकबा 3.04 हैक्टर भूमि में जयराम पि.मांगीलाल भील के बजाय जयराम मु.बालूराम भील दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करें। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें। निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द जिला-भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested